निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :57/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. कैलाशी देवी पुत्री मोती पत्नी विमल
2. मैना देवी पुत्री मोती पत्नी लालाराम
3. लादी देवी पुत्री मोती पत्नी रामेश्वर

निवासियान झाझडो (गोदारों) की ढाणी, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1.श्री राजेश कुमार मीना आर.ए.एस॰ उप खण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण ।
2.जमना देवी पत्नी जीवण
3.गंगा देवी पत्नी सूजाराम
4.कमलादेवी पंत्नी मांगीलाल
5.लाली देवी पत्नी कजोडमल
6.लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व॰ श्री कानाराम
7.श्योजीराम पुत्र स्व॰ श्री कानाराम
8.गोपाल पुत्र स्व॰ श्री कानाराम
9.दानाराम पुत्र स्व॰ श्री कानाराम
0.हरिनारायण पुत्र स्व॰ श्री कानाराम
1.रूपनारायण पुत्र स्व॰ श्री कानाराम
2.मोती देवी पुत्र स्व॰ श्री कानाराम पत्नी जगदीश

निवासियान लक्ष्मीनाराणपुरा, रामपुरा उती, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

, अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2023 ब उनवानी जमना देवी व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री नरेन्द्र पलसानिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 03.12.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2023 ब उनवानी जमना देवी व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की ओर से वकील श्री रामअवतार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील के नोटिस कभी प्राप्त नही हुये ।उक्त अपील की बिना तामील करवाये ही विधि विरूद्व तरीके से एक पक्षीय आलौच्य आदेश दिनांक 10.10.2023 को पारित किया गया। आदेश की जानकारी होने के पश्चात प्रार्थिया ने नकल हेतु आवेदन किया तब जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय एक पक्षीय आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय राजनैतिक दबाव में जल्दबाजी में अपील को फाईनल फैसल करने पर आमादा है। अपीलान्टस राजनैतिक पार्टियों के सम्पर्क में रहने वाले राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जिन्होंने पीठासीन अधिकारी को भी अपने प्रभाव में ले रखा है, जिसके चलते पीठासीन अधिकारी अत्यधिक रूचि लेकर अपीलान्ट के पक्ष में फैसल करना चाहते है जबकि न्याय निष्पक्षता से होना चाहिये । प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से कतई न्याय की उम्मीद नहीं रही ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निष्पक्ष निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के अधिवक्ता ने दलील पेश की कि प्रार्थीगण ने प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे एवं काल्पनिक तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थिया द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि प्रार्थीगण ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थिया ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 08.10.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2023 ब उनवानी जमना देवी व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की ओर से वकील श्री रामअवतार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील के नोटिस कभी प्राप्त नही हुये ।उक्त अपील की बिना तामील करवाये ही विधि विरूद्व तरीके से एक पक्षीय आलौच्य आदेश दिनांक 10.10.2023 को पारित किया गया। आदेश की जानकारी होने के पश्चात प्रार्थिया ने नकल हेतु आवेदन किया तब जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय एक पक्षीय आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय राजनैतिक दबाव में जल्दबाजी में अपील को फाईनल फैसल करने पर आमादा है। अपीलान्टस राजनैतिक पार्टियों के सम्पर्क में रहने वाले राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जिन्होंने पीठासीन अधिकारी को भी अपने प्रभाव में ले रखा है, जिसके चलते पीठासीन अधिकारी अत्यधिक रूचि लेकर अपीलान्ट के पक्ष में फैसल करना चाहते है जबकि न्याय निष्पक्षता से होना चाहिये । प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से कतई न्याय की उम्मीद नहीं रही ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निष्पक्ष निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के अधिवक्ता ने दलील पेश की कि प्रार्थीगण ने प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे एवं काल्पनिक तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थिया द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि प्रार्थीगण ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थिया ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)